A.60011/46/2017/HRPC/20 12/16.01.18

**विषय: संशोधित कर्मचारी हितैषी योजना – सूचना संबंधी**

सीएचआरएम परिपत्र संख्या 38/2017 दिनांक 21.11.2017 और सीएचआरएम परिपत्र संख्या 38(ए)/2017 दिनांक 12.12.2017 के माध्यम से कर्मचारी हितैषी योजना को संशोधित किया गया था, जिसमें योजना के तहत मासिक पात्रता लाभ बढ़ाया गया है और संशोधित योजना 01.01.2018 से लागू होगी ।

2. इस संबंध में, भाविप्रा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें अनुरोध किया है कि उक्त योजना के तहत बढ़ाए गए लाभों को प्रभावी तिथि दिनांक : 01.01.2017 से लागू हो ।

3. एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कर्मचारी हितैषी योजना भाविप्रा की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और यह वेतन संशोधन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त मुद्दे पर कार्मिक सलाहकार बोर्ड (पीएबी) में विस्तार से चर्चा की गई तथा विचार-विमर्श करने पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित योजना को दिनांक 01.01.2018 से लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

4. यह सभी संबंधितों के आवश्यक सूचनार्थ है।

(के. नागराज)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)